F-07-11



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1517 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1517

विषय/Sub: एलसीए हेतु एल्यूमिनियम अलॉय एएल-356ए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स

(पेडेस्टल यूनिट और गिंबल बोक्स)/

Aluminium Alloy Al – 356A Investment Castings (Pedestal Unit & Gimbal Box) for LCA

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसिशन कास्टिंग्स लिमिटेड, गुजरात-364 006 द्वारा विकसित और उत्पादित, "एल सी ए हेतु एल्यूमिनियम अलॉय एएल-356ए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स (पेडेस्टल यूनिट और गिंबल बोक्स)" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1517, दिनांक 28 सितंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1517 जारी किया गया था और जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध है।

This is to state that the "Aluminium Alloy Al 356A Investment Castings (Pedestal Unit & Gimbal Box) for LCA, developed and manufactured by M/s. Investment and Precision Castings Limited, Gujarat – 364 006 was issued with Type Approval No. 1517 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1517, dated: 28th Sept 2010 which is valid upto 31st December 2015.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सिम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (मेटीरियल्स), हैदराबाद – 500 058, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगीं।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st January 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), Hyderabad – 500 058, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1517/1R

दिनांक/Date: 23 Sept 2015 फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(गंतायत गौड़ वै. जी /G. Gouda, Sc. 'G'

स्थानामन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Offg.Chief Executive (Airworthiness)